

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:- ई-20 / m-31/nursing/ajmer-32238-7001182/2025/ 152 दिनांक :- 28/3/2025

**-: आदेश :-**

श्रीमती ममता कुमारी (परिवीक्षाधीन) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र खाखडकी, खण्ड कुचामनसिटी, जिला डीडवाना-कुचामन के स्वयं के आवेदन के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवकाश की अवधि	अवकाश का प्रकार
01.	13-10-2021	26-01-2022	106 दिवस	असाधारण अवकाश

नोट:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1 (2) वित्त/नियम/2006 पार्ट-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग किये जाने के फलस्वरूप कार्मिका के परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश की सीमा तक अभिवृद्धि की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- ई-20 / m-31/nursing/ajmer-32238-7001182/2025 / 152 दिनांक :- 28/3/2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुचामनसिटी।
7. श्रीमती ममता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी आईटी सैल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation : Director  
Date : 27-03-2025 07:24:49